राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: cce.rmsa@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शिप./जय/CCE/2020–21/ 16265 दिनांक : 28/10 /2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा–समस्त जिले

विषयः– सीसीई अन्तर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने बाबत।
सन्दर्भः–रा.स्कू.शिप./जय/CCE/2020–21/13723 दिनांक 14.08.2020 एवं 15243 दिनांक 25.09.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख हैं कि कक्षा 1–5 में संचालित सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री यथा– **योजना डायरी, विषयवार चैकलिस्ट, पाठयक्रम विभाजन, वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका** के प्रारूप शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए है। जिन्हे निम्नानुसार डाउनलोड किया जा सकता है।

SIQE → **Resource material** → **विषयवार –चैक लिस्ट/पाठ्यक्रम विभाजन**

- वार्षिक अंकलन अभिलेख पंजिका
- अध्यापक योजना डायरी

- वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 में सीसीई अन्तर्गत आवश्यक शिक्षक सहयोगी सामग्री हेतु अनुमोदित राशि जिला कार्यालयों को स्थानान्तरित की जा चुकी है। जिला कार्यालय अविलम्ब सीआरसी/पीईईओं को विद्यालय संख्या के अनुसार राशि स्थानान्तरित कर पीएमएस पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों को आवश्यक सीसीई सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु पीईईओ/सीआरसी/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होगे। जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इसकी उपलब्धता हेतु प्रभावी मॉनीटरिंग करें।
- सीसीई सामग्री शाला दर्पण पोर्टल से बिना लॉगिन किए ही डाउनलोड की जा सकती है।

www.rajteachers.com

27.10.20
(एम.आर.बगडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

क्रमांक : रा.स्कू.शिप./जय/CCE/2020–21/ 16265 दिनांक : 28 / 10 /2020

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सहायक राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
3. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
5. कार्यालय प्रति।

27.10.20
उपायुक्त–द्वितीय

D:\d drive\SIQE 2015\SIQE 2018\SIQE Letter